

**निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
253वीं बैठक दिनांक 22 जून, 2021 कार्यवृत्त**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 253वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | श्री दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, | अध्यक्ष |
| 2. | श्री अश्विनी त्रिपाठी,
मा० उपाध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 3. | श्री राम लखन पटेल,
मा० उपाध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 4. | श्री अजय चौहान,
आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 5. | श्री नीरज शुक्ला,
अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सचिव |
| 6. | श्री धर्मेद वर्मा,
वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 7. | श्री आर०बी० यादव,
मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 8. | श्री दिनेश कुमार,
मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, | सदस्य |
| 9. | श्री कृष्ण मोहन,
वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, | सदस्य |
| 10. | श्री जावेद असलम,
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, प्रतिनिधि,
अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम विभाग, | सदस्य |
| 11. | श्रीमती कल्याण बनर्जी,
उपसचिव, प्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव नगर विकास, उ०प्र० शासन, | सदस्य |
| 12. | श्री जानेन्द्र वर्मा,
अपर सचिव प्रतिनिधि उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, | सदस्य/विशेष आमंत्रित |

सर्वप्रथम आवास आयुक्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये:-

विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
253/1	परिषद की 252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।



253/2	परिषद की 252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 252वीं बैठक दिनांक 17 मार्च, 2021 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
253/3	अवध शिल्प ग्राम, अवध विहार योजना, लखनऊ में कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु संचालित अटल विहारी बाजपेयी कोविड हास्पिटल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 02 नग 500 के 0वी0ए0 डीजी सेट की आपूर्ति एवं संस्थापन का कार्य।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/4	अवध विहार योजना, लखनऊ में स्थित अवध शिल्प ग्राम परिसर को जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अधिग्रहण के उपरान्त कोविड-19 के रोकथाम एवं उपचार हेतु संचालित अटल विहारी बाजपेयी कोविड हास्पिटल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने में आने वाले व्यय का समायोजन राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन से धनराशि प्राप्त करते हुए किये जाने की सैद्धांतिक सहमति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में निम्नलिखित अनुमोदन दिये गये:- 1 कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार हेतु संचालित अटल विहारी बाजपेयी कोविड हास्पिटल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने में आने वाले व्यय का समायोजन राहत आयुक्त उ0प्र0 शासन से धनराशि प्राप्त करते हुए किये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। 2 यह भी अनुमोदन किया गया कि जो पैसा प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा Load Extension एवं विद्युतीकरण हेतु मांगा गया है, वह अनुमोदित कर दिया जाये।
253/5	जनपद हापुड़ में दस्तोई रोड से जसरूप नगर की झोईयां ड्रेन तक आर0सी0सी0 नाले के निर्माण कार्य की लागत का परिषद अंश(1/3 भाग) अवस्थापना मद से नगर पालिका परिषद हापुड़ को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/6	आवासीय भूखण्ड संख्या-10डी/09 वसुन्धरा योजना गाजियाबाद का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बंधी प्रस्ताव।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रस्ताव के संबंध में एक नीति तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया।

253/7	परिषद की वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-14 में स्थित शिक्षण संस्थान हेतु आवंटित भूखण्ड पर जयपुरिया एजुकेशनल सोसायटी द्वारा पब्लिक स्कूल चलाये जाने सम्बंधी प्रकरण।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/8	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित भवन संख्या-बी-9 (क्षेत्रफल 800.00 वर्गमी0) का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन करने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/9	परिषद की 252/29वीं बैठक के विभिन्न मदों के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव के अनुपालन किये जाने के संबंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/10	कोविड-19 के दृष्टिगत बकाया धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज न लिए जाने एवं एक मुश्त धनराशि जमा की दशा में छूट हेतु अवधि में शिथिलता।	वित्त एवं लेखा (मूल्यांकन)	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त कोविड की दूसरी लहर के दृष्टिगत परिषद की सम्पत्तियों पर दिनांक 01.04.21 से 31.05.21 की अवधि में देय किश्तों में डिफाल्ट पर अतिरिक्त ब्याज की गणना न करने तथा एकमुश्त भुगतान की दशा में 60 दिन की अवधि में दिनांक 01.04.21 से 30.06.21 की अवधि की गणना न किये जाने का निर्णय लिया गया।
253/11	परिषद स्टाफ भवन में अध्यासित परिषद कार्मिकों को कोविड-19 के दृष्टिगत समान किराया लिये जाने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/12	परिषद कार्मिकों को भवन क्रय/निर्माण एवं भवन विस्तार/मरम्मत अग्रिम स्वीकृत किये जाने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/13	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के संबंध में किसी भिन्न अधिकारी को शासन से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द निस्तारण कराये जाने का निर्णय लिया गया।

253/14	मै0 यूपीडेस्को के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण कार्यो हेतु तकनीकी सेवाओं की प्राप्ति हेतु दिनांक 01-05-2021 से 30-09-2021 अवधि तक स्वीकृति के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त कम्प्यूटरीकरण कार्यो हेतु तकनीकी सेवाओं की प्राप्ति दिनांक 01.05.21 से 31.03.22 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया।।
253/15	परिषद की कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना नजीबाबाद एवं सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 भाग-2 बढ़ायूँ में खोले गये पंजीकरण के विरुद्ध आवंटित भूखण्डों से रिक्त (अवशेष) भूखण्डों के निस्तारण हेतु परिषद विनियम-2016 के संशोधन/ प्रकाशन के संबंध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/16	परिषद की बहराइच भिन्नगा मार्ग योजना, बहराइच एवं जागृति विहार योजना संख्या-11 (विस्तार) मेरठ में खोले गये भवनों एवं भूखण्डों के पंजीकरण में परिषद विनियम 2016 से इतर किये गये संशोधन एवं तदक्रम में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पतियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित 2016 के संशोधन/ प्रकाशन के संबंध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/17	परिषद की योजनाओं में स्थित बहुमंजिले अपार्टमेन्ट में निर्मित कार पार्किंग परिवर्तन का शुल्क निर्धारण के संबंध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/18	परिषद की राजेन्द्र नगर योजना संख्या-2, बरेली में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-एम0एल0टी0-01 की बकाया धनराशि की वसूली एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।	सम्पति	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/19	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता के सेवाकाल को 01 वर्ष तक के लिए विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/20	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री ओमपाल सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अवर	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्य्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	अभियन्ता के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।		
253/21	श्री लखन सिंह, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत 15% पेंशन की कटौती 15 वर्षों तक किये जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/22	श्री बनवारी लाल शर्मा, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध गठित विभागीय जाँच में उन पर अधिरोपित आरोप सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत, उनकी पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षों तक किये जाने का दण्ड प्रदान किये जाने के संबंध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/23	परिषद की झूँसी योजना संख्या-03, प्रयागराज में समाविष्ट ग्राम- झूँसी कोहना के खसरा संख्या-298 एवं 411 की क्रमशः 06 बिस्वा 10 विस्वांसी एवं 09 बिस्वा 07 विस्वांसी कुल क्षेत्रफल 1760.00 वर्गमीटर भूमि का ब्याज सहित असुधार शुल्क लेकर योजना में समायोजित किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में 2016 के बोर्ड निर्णय की तिथि को प्रचलित योजना की दर पर असुधार शुल्क अधिरोपित करते हुए उस पर एफडी0 पर प्रचलित साधारण ब्याज की दर पर आवासीय प्रयोग हेतु समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।
253/24	श्रीमती शकुन्तला भीम सरिया, श्री राजकुमार खेतान, श्री मोहित भीम सरिया, डा0 सत्यानन्द जी केडिया एवं श्री हरीराम कनोडिया द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बेतियाहाता दक्षिणी योजना, गोरखपुर में समाविष्ट खसरा संख्या-254, 255 व 257 में क्रय की गयी भूमि क्रमशः 3142 वर्गफुट 6542 वर्गफुट, 3141 वर्गफुट 3593 वर्गफुट व 3096 वर्गफुट कुल भूमि 19514 वर्गफुट भूमि का वर्तमान आवासीय दर पर समायोजन/आवंटन किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवंटन/समायोजन के संबंध में परिषद द्वारा जारी प्रोसेस का पालन करते हुए परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
253/25	मड़ोला योजना सं0-4, भाग-1 मुरादाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या-	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

Ally

	143 व 149 तथा 141, 142 व 144 तक की भूमि के सम्बन्ध में।		आवंटन/समायोजन के संबंध में परिषद द्वारा जारी प्रोसेस का पालन करते हुए परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
253/26	मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ, मा0 राज्य आयोग एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण में दाखिल होने वाली रिट याचिका/अपील में अधिवक्ताओं को देय फीस का भुगतान हेतु प्रचलित नियम एवं शर्तों के सम्बन्ध में।	विधि अनुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/27	परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं0-4 /बी0 एस0-2/4 की विवाद रहित भूमि के नियोजन एवं कब्जों के सम्बन्ध में।	सम्पत्ति प्रबन्ध	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/28	मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4, कानपुर की भूमि दर निर्धारण के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/29	वृन्दावन योजना संख्या-2, भाग-1, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम- हवैतमऊ मवैया खसरा संख्या-124 ख रकवा 1-1-0-0 बिघा भूमि को वर्तमान व्यवसायिक दर पर आवंटित करने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
253/30	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए कास्टिंग यार्ड हेतु परिषद की हंसपुरम योजना सं0-2, कानपुर में 6 हे0 भूमि 30प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन लि0, कानपुर को 3 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/31	30प्र0 सरकार निवास अनुभाग-2 की अधिसूचना सं0-5671/37-2-61 एच.बी. / 71 दिनांक 14 मार्च, 1973 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में संशोधन का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/32	30प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथा- संशोधित-2016 में आवासीय सम्पत्तियों की भाति अनावासीय सम्पत्तियों के	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



	किशतों में पुनः निर्धारण किये जाने के संबंध में।		
253/33	परिषद की शाहपुर योजना सं0-2/3 गोरखपुर में विकसित व्यवसायिक भूखण्ड सं0-सी0पी0-104 के संबंध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि आवंटी को दिनांक 30.06.21 तक आवंटन पत्र निर्गत कर दिया जाये तथा परिषद द्वारा आवंटन की तिथि से सामग्री हटने की तिथि zero period उसके उपरान्त दिनांक 30.06.21 तक आवंटन की शर्तों में उल्लिखित साधारण ब्याज लगाया जाये, तदोपरान्त यदि आवंटी द्वारा पैसा जमा नहीं किया जाता है तो आवंटन पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जाये।
253/34	परिषद की महादेव झरखण्डी योजना गोरखपुर के दुर्बल आय वर्ग भवन संख्या-348/1 एवं भवन संख्या-366 तथा अन्य विभिन्न श्रेणी के अवैध कब्जे से प्रभावित सम्पत्तियों के संबंध में।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में वर्तमान दर अथवा पुनर्जीवन शुल्क+साधारण ब्याज में से जो भी अधिक हो, के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
253/35	परिषद द्वारा संचालित भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या की ले-आउट प्लान में सामान्य से चौड़ी सड़कों (24 मीटर से 100 मीटर चौड़ी सड़क) का प्राविधान किये जाने से विक्रयशील क्षेत्रफल कम आने एवं भूमि मूल्य अधिक आने के कारण भूमि मूल्यांकन निर्देशिका-1986 यथासंशोधित-2001 एवं 2016 में यथा प्रस्तावित संशोधन किये जाने के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि उक्त निर्णय को परिषद की किसी अन्य योजना के लिए नजीर न माना जाये।
253/36	बेतियाहाता (दक्षिणी) भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर में 1.90 एकड़ भूमि अर्जन मुक्त में से 1500.00 वर्गमी0 भूमि पर बने मकान को विक्रय किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/37	परिषद की वृन्दावन योजना सं0-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-बरौली	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में



	खलीलाबाद के खसरा संख्या-490/4 रकबा 0.240 हे0 भूमि को योजना में अन्यत्र समायोजित किये जाने के संबंध में।		आवासीय उपयोग हेतु असुधार व विकास शुल्क दोनों लेते हुए योजना में अन्यत्र समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा यदि आवेदक समायोजित भूमि का नियमानुसार उप विभाजन कराना चाहे तो परिषद नियमानुसार उप विभाजन हेतु निर्धारित शुल्क भी देय होगा।
253/38	परिषद द्वारा संचालित भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना अयोध्या की धारा-28 की सीमा से लगी हुई ग्राम-तिहुरा मांझा के खसरा-02 मि0 क्षेत्रफल 31.360 हे0 भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/39	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में विशाल सहकारी आवास समिति लि0, गाजियाबाद के संबंध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में उल्लिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया गया।
253/40	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित सहकारी आवास समितियों को परिषद द्वारा आवंटित किये गये भूखण्डों के सापेक्ष ओ0टी0एस0 योजना-2020के अन्तर्गत बकाया धनराशि पर ब्याज/दण्ड ब्याज दर निर्धारित किये जाने के संबंध में।	सहकारिता	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में आवास आयुक्त को इस सम्बन्ध में नीति बनाकर शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।
253/41	परिषद की शाकुम्भरी विहार योजना मवीकला योजना संख्या-8, सहारनपुर के सेक्टर-10 एवं 02 के ले-आउट पुनरीक्षित किये जाने सम्बंधी मूल्यांकन को परिषद निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के सम्बंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/42	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/43	Regulations for Disbursement of Loan Under The Middle Income Group Housing Scheme-1968 एवं Regulations for Disbursement of Loan Under The Low Income Group Housing Scheme-1968 को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	वित्त	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

253/44	अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, श्री सन्तोष कुमार चौहान, सेवानिवृत्त लेखाकार एवं श्री राकेश सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण इकाई, इटावा के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
--------	--	-----------	--

पटल पर विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
253/45	परिषद की लोनी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना अजन्तापुरम में समाविष्ट खसरा संख्या-390 (आइस फैक्ट्री) के आवंटन के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त परिषद द्वारा निर्मित प्रोसेस का पालन करते हुए परीक्षण कराकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
253/46	मा० निदेशक मण्डल की 249वीं बैठक दिनांक 10-02-2020 के मद संख्या-249/6 द्वारा वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2668क की 2460.00 वर्गमी० समायोजित की गयी भूमि को अन्यत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त आवासीय भू-उयोग हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदक समायोजित भूमि का नियमानुसार उपविभाजन कराना चाहे तो परिषद नियमानुसार उपविभाजन हेतु निर्धारित शुल्क भी देय होगा।
253/47	परिषद की वृन्दावन योजना के अविकसित घोषित होने के कारण मैसर्स गंधर्व इन्फ्राटेक्चरस एण्ड प्रोपर्टी लि०, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-6सी/जी०एच-4 को आवंटित बेसिक एफ०ए०आर० से अधिक अनुमन्य एफ०ए०आर० को क्रय योग्य एफ०ए०आर० के रूप में प्रदान किये जाने वाली गणना में बेसिक एफ०ए०आर० का पुनर्निर्धारण शासनादेश सं०-5136 के अनुसार अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव में सी०टी०सी०पी० के अभिमत के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
253/48	आवंटन एवं समायोजन के संबंध में परिषद द्वारा बनाये गये प्रोसेस के अनुमोदन के संबंध में।		सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

253/49	कोविड 19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन/बन्दी के कारण माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 में परिषद के सामुदायिक केन्द्रों में बुकिंग निरस्त कराने वाले आवेदकों को बुकिंग में सम्पूर्ण धनराशि, जी0एस0टी0 नियमानुसार कटौती के उपरान्त वापस किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।		सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
253/50	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

Alkandh
25/06/2021
आवास आयुक्त

अनुमोदित,

h

(दीपक कुमार)

अध्यक्ष